न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 12/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— शायरसिंह बीका पुत्र भंवरसिंह बीका जाति राजपूत निवासी पुरानी गिन्नाणी, गायत्री माता मन्दिर के पास, बीकानेर।

———अपीलान्ट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री दिलीपसिंह अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :— श्री चतुर्भुज सारस्वत सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.05.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 08.12.2011, जिसमें अपीलांट का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने पिता स्व.भंवर सिंह पुत्र श्री दुलेसिंह बीका के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 87/85 डीएम बीकानेर पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 7407 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत दिनांक 19.8.11 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (एटीसी) राजस्थान जयपुर एवं तहसीलदार, बीकानेर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 501 दिनांक 30.11.11 में आवेदक को अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं है, की टिप्पणी की है। अधिनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने जिले की भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती गतिविधियॉं, वर्तमान लोक परिस्थितियों, व्यापाक लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 14(1)(B)(ii) में दिये प्रावधानों एवं जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2011 से अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री दिलीपसिंह ने वरवक्त बहस मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के पिता भंवरसिंह का देहावसान होने के बाद उनके नाम से जारी लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर बन्दूक प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। स्व. श्री भंवरसिंह के शेष वारिसान ने भी सहमति स्वरूप अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे। अपीलांट अपने पिता के शस्त्र लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र को उत्तराधिकार में प्राप्त करना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की है, जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 30.11.11 में "आवेदक ने शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। अतः आवेदक को अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं है।" की टिप्पणी की गई है। इस टिप्पणी को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर आवेदन पत्र को निरस्त किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट को शस्त्र चलाने का अनुभव प्राप्त है। अपीलांट खेतीबाड़ी पेशा व्यक्ति है। उसे खेती बाड़ी की सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के लिये शस्त्र की जरूरत है। उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है। अपीलांट की आवश्यकताओं एवं उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता जी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जाता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में अपीलार्थी को लाईसेंस दिया जाना "उचित नहीं है" अंकित किया है तथा जिले की भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती गतिविधियॉ, वर्तमान लोक परिस्थितियों, व्यापाक लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 14(1)(B)(ii) में दिये प्रावधानों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज या विचाराधीन होने का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल शस्त्र चलाने का अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने का आधार लेते हुए आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं है, की टिप्पणी की गई है। इस संबंध में अपीलांट को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट के पिता के शस्त्र लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलांट ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या विचाराधीन होने का उल्लेख नहीं है बल्कि रिपोर्ट के बिन्दु सं. 1 ता 5 में अपीलांट के पक्ष में ही रिपोर्ट की गई है। राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता जी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जाता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में अपीलार्थी को लाईसेंस दिया जाना "उचित नहीं है" अंकित किया है, परन्तु कारण स्पष्ट नहीं किया है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आवेदक को शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने से संबंधित प्रक्रिया एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया अपेक्षित है ।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए पुनः विधि सम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करें।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर